भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2272

08 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसल की बुवाई पर विलंबित मानसून और एल नीनो का प्रभाव

2272 श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025 में खरीफ की बुवाई की प्रवृत्तियों पर विलंबित मानसून और एल नीनो परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) अनियमित वर्षा के कारण बुवाई में हुई कमियों या फसल परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं;

(ग) क्या नुकसान को कम करने के लिए आकस्मिक योजना और इनपुट सब्सिडी पैकेज जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या किसानों तक पहुंच के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) में वास्तविक समय में मौसम संबंधी सलाह और फसल बीमा को एकीकृत किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): दिनांक 01.06.2025 से 04.08.2025 की अवधि के दौरान, देश में 481.9 मिमी सामान्य वर्षा की तुलना में 500.8 मिमी वर्षा हुई, जो 4% अधिक है। हालाँकि, वर्षा का स्थानिक वितरण असमान बना हुआ है। परिणामस्वरूप, देश के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भागों में शीघ्र बुवाई हुई है और पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में देरी से बुवाई हुई है। हालांकि, मानसून की प्रगति एवं देशभर में इसके पूर्ण विस्तार के साथ, सभी प्रमुख खरीफ फसलों में सामान्य स्तर पर बुवाई की सूचना प्राप्त हुई है।

1 अगस्त, 2025 तक, खाद्यान्न, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों के तहत खरीफ सीजन 2025 में बोया गया प्रोग्रेसिव क्षेत्र 932.93 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 887.97 लाख हेक्टेयर था।

(ग): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालाँकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आई.एम.सी.टी.) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि मुआवज़े के रूप में।

ii. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी और दिनांक 11.07.2023 को संशोधित एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. की मदों और मानदंडों के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के कारण प्रभावित किसानों (2 हेक्टेयर तक) को कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक रोपण फसलों के लिए दी गई इनपुट सब्सिडी (जहां फसल का नुकसान 33% और उससे अधिक है) का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर (जो प्रति किसान कम से कम 1000 रुपये की न्यूनतम सहायता के अध्यधीन है और यह केवल बोए गए क्षेत्र तक सीमित है)।
- सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 17000 रुपये प्रति हेक्टेयर (जो प्रति किसान कम से कम 2000 रुपये की न्यूनतम सहायता के अध्यधीन है और यह केवल बोए गए क्षेत्र तक सीमित है)।
- कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) सहित सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/वृक्षों के लिए 22500 रुपये प्रति हेक्टेयर और यह केवल बोए गए क्षेत्र तक सीमित है।

(घ): भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) की जिला कृषि मौसम यूनिट (डी.ए.एम.यू.) चुनिंदा कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) में कार्यरत हैं। ये यूनिट स्वचालित मौसम केंद्रों (ए.डब्ल्यू.एस.) से लैस हैं और आई.एम.डी. के संबंधित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों (आर.एम.सी.) द्वारा प्रदान किए गए मध्यम-अवधि के मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर, सप्ताह में दो बार कृषि-परामर्श जारी करती हैं।
